संख्या- 38/2024/328/छप्पन-2024-98/2013

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ; दिनांक: 16 मार्च, 2024

विषय: आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्षेत्र में आ रही (21 किमी0) 42 नं0 पोल्स को एवं 02 ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एवं उसके स्थान पर 4375 मीटर की 11 के0वी0 नई लाइन हेतु टी0सी0/मूल्यांकित धनराशि जमा कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 369/आर0सी0एस0-2024-ए-4/2019 दिनांक 01 मार्च, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, आगरा के पत्र दिनांक 06.10.2023 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा के पत्र दिनांक 19.09.2023 को संलग्न करते हुए आगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्षेत्र में आ रही (21 किमी0) 42 नं0 पोल्स को एवं 02 ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एवं उसके स्थान पर 4375 मीटर की 11 के0वी0 नई लाइन हेतु टी0सी0/मूल्यांकित धनराशि जमा कराये जाने के निमित्त रू0 64,18,291.00 (रु0 चौंसठ लाख अट्ठारह हजार दो सौ इक्यान्वे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 64,18,291.00 की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा के निवर्तन पर आवंटन हेतु स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किआगरा एयरपोर्ट पर नये सिविल एन्क्लेव के विकास हेतु क्षेत्र में आ रही (21 किमी0) 42 नं0 पोल्स को एवं 02 ट्रान्सफार्मर को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट करने के लिए एवं उसके स्थान पर 4375 मीटर की 11 के0वी0 नई लाइन हेतु टी0सी0/मूल्यांकित धनराशि जमा कराये जाने के निमित्त रूपए 64,18,291/- (रूपए चौंसठ लाख अट्ठारह हजार दो सौ इक्यानबे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष2023-24 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी,आगरा के निवर्तन पर रखे जाने हेतु अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही धनराशि के सापेक्ष यदि कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, आगरा द्वारा राजकोष में जमा कराई जाएगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 64,18,291/- (चौंसठ लाख अट्ठारह हजार दो सौ इक्यानबे मात्र रूपए) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, आगरा के निर्वतन पर रखी जायेगी और जिलाधिकारी, आगरा द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखाशीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-688-दस-2023-24, दिनांक 16 मार्च, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

संख्या- 38/2024/328(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
4- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- जिलाधिकारी, आगरा।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
8- निदेशक, (वितरण), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।